"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2011—पौष 7, शक 1933

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-109/दो-गृह/रापुसे/2011.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पुलिस थाना	थाने में पंजीबद्ध अपराधों की संख्या की जानकारी.	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)	पुलिस अधीक्षक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	पुलिस थाना	सड़क दुर्घटना में मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर.	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)	पुलिस अधीक्षक
3.	पुलिस थाना	अज्ञात वाहन दुर्घटना प्रकरणों में जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना.	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)	पुलिस अधीक्षक
4.	पुलिस थाना	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना दायर होने पर राहत हेतु प्रकरण प्रस्तुतीकरण.	30 कार्य दिवस	थाना प्रभारी, अजाक	उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/अति. पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक
5.	पुलिस थाना	प्राकृतिक आपदाओं (जिसमें पुलिस ने जांच या विवेचना की है) में पीड़ित परिवारों को राहत हेतु तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करना.	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)	पुलिस अधीक्षक
6.	पुलिस थाना	सड़क दुर्घटना में घायलों को तत्कालिक राहत हेतु कार्यवाही.	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)	पुलिस अधीक्षक
7.	पुलिस थाना	किसी प्रकार की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर मुआवजा राशि के विभिन्न बीमा क्लेम एवं राहत योजनाओं के तहत आवेदन पर कार्यवाही.	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)	पुलिस अधीक्षक
8.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय	प्रस्तुत शिकायत पत्र/आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु आवेदन पत्र पर कार्यवाही.	30 कार्य दिवस	उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय/अति. पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक रेंज

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.